राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प. 1(79)पोला/ओ/501/11 जयपुर, दिनांक 18 अप्रैल, 1959

ऐसे व्यक्तियों को जो राजस्थान राज्य में राजनैतिक आन्दोलन में यातनाएँ सही हो और उन व्यक्तियों को जो राजस्थान के अधिवासी हैं, परन्तु राजस्थान के बाहर किसी अन्य स्थान पर राजनैतिक आन्दोलन में यातनाएँ सही हो, राज्य के सीमित साधनों के अनुरूप सहायता दी जाने के प्रावधान करने की दृष्टि से राजस्थान के राज्यपाल, उन समस्त शक्तियों का जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती हैं, प्रयोग करते हुए निम्नालिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

राजस्थान स्वतत्रंता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959

1. संक्षिप्त नामः– इन नियमों का नाम राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 हैं ।

(क) प्रसार एवं निसरण :– इन नियमों का प्रसार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधिन पुर्नगठित सम्पुर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(ख) आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में प्रवृत इस विषय से सम्बन्धित सभी नियम और राजस्थान पोलोटीकल सफरर्स रिलीफ रूल्स, 1956 इसके द्वारा अतिष्ठित किये जाते है, परन्तु इसके द्वारा इस प्रकार अतिष्ठित किसी भी पूर्व आदेश या नियमों के अधीन पहले से स्वीकृत कोई रियायत या सहायता, उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस कालावधि की समाप्ति तक मिलती रहेगी, जिसके लिए वे मंजूर की गई थी ।

(ग) ऐसे विस्थापित व्यक्ति भी, जो राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से बस गये है, इन नियमों के अधीन सहायता के हकदार होगें, परन्तु यह तब जबकि वे जैसा इसके पश्चात् उपबंधित किया गया है, राजस्थान से बाहर के किसी भी स्थान पर राजनैतिक आन्दोलन में यातनाएँ सहीं हो और इन नियमों के अधीन सहायता पाने के लिए अन्यथा रूप से हकदार हो ।

(घ) ऐसा व्यक्ति भी, जो राजस्थान का अधिवासी हो और राजस्थान से बाहर किसी भी स्थान पर राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण यातनाएँ सहीं हों, इन नियमों के अधीन सहायता पाने का हकदार होगा ।

2. परिभाषाएँः– जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :–

(i) ''आश्रित'' से मृत स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के निम्नालिखित संबंधियों में से कोई भी संबंधी पत्नि, निराश्रित माता–पिता, अवयस्क पुत्र अथवा पोत्र भाई, अविवाहित पुत्री या बहिन और विधवा पुत्र–वधू साथ ही पूर्व मृत पुत्र के अवस्क बच्चे और ऐसे अन्य आश्रित जो 1 राज्य सरकार द्वारा घोषित किये जाए अभिप्रेत है ।

---

1 अधिसूचना क्रमांक प.6 (80) साप्र/1/76 पार्ट दिनांक 17.8.92 द्वारा निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित ''नियम 14(6)के अधीन गठित उपसमिति''